Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर डिस्कॉम कनिष्ठ अभियंता अपने भाई सहित 27 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की चुरू इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज बुधवार को कनिष्ठ अभियन्ता **(JEN)** ग्रामीण उपखण्ड जोधपुर डिस्कॉम रतनगढ सही राम कड़वासरा व उसके भाई मुकेश को 27 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चुरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बिजली कनेक्शन के नाम पर आरोपी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने भाई के मार्फत 27 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज चुरू में एसीबी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सहीराम कडवासरा कनिष्ठ अभियन्ता,** ग्रामीण उपखण्ड जोधपुर डिस्कॉम रतनगढ़ के भाई **मुकेश** पुत्र श्री धन्नाराम निवासी लोहा तहसील रतनगढ़ हाल वनरक्षक वन विभाग रेंज कार्यालय रतनगढ़ को परिवादी से **27 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों पर एसीबी टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। **रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।**

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।